



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या 01 सैक्टर के0पी0 -04 , ग्रेटर नौएडा सिटी,
जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
website : www.greaternoidaauthority.in

पत्रांक- ग्रेनो/वाणिज्य/2019/ 2705

दिनांक 30/04/2019

सेवा में,

M/s. Fastidious buildmart Pvt. Ltd
Unit No. 105 First Floor
Vardhmaan Sidhant Shopping Plaza
LSC Savita Vihar
Delhi -110092

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 15.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने प्राधिकरण वाणिज्यिक भूखण्ड योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड संख्या सी-01 सैक्टर-16 बी आकार 35076 वर्ग मी0 को निम्नानुसार उपविभाजित करने का अनुरोध किया गया था -

S.NO	Company Name	Area (Square Meter)
01	M/s Civitech Buildcon Pvt.Ltd	15089
03	M/s Fastidious Buldmart Pvt.Ltd	19987

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के क्रम में संख्या सी-01 सैक्टर-16 बी आकार 35076 वर्ग मी0 को निम्नानुसार विभाजित किया जाता है -

S.NO	Company Name	Area (Square Meter)
01	M/s Civitech Buildcon Pvt.Ltd	15089
03	M/s Fastidious Buldmart Pvt.Ltd	19987

आपको इस शर्त के साथ M/s. Civitech Buildcon Pvt.Ltd के पक्ष में 15089 वर्ग मी0 के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की जाती है कि दिनांक 06.07.2016 को मूल आवंटि के पक्ष में निष्पादित लीजडीड की शर्तें यथावत M/s Civitech Buildcon Pvt.Ltd लागू रहेंगी। इस संबंध में आप विभाजित भूखण्ड का लेआउट प्राधिकरण में प्रस्तुत करें ताकि आपको पृथक से चैक लिस्ट जारी की जा सकें।

प्रतिलिपि

1. नगर नियोजक (नियोजन) को अवलोकनार्थ।

प्रबंधक (वाणिज्यिक)

प्रबंधक (वाणिज्यिक)



AAI/KHO/NRI/ATM/NOC/242/2019/12/1-12/4

FASTIDIOUS BUILD MART PVT LTD

GAUR BIZ PARK, PLOT NO.-01, ABHAY
KHAND-II, INDIRAPURAM, GHAZIABAD
(U.P.)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Date: 24-07-2019

Valid Upto: 23-07-2027

No Objection Certificate for Height Clearance

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.
2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID :	SAFD/NORTH/B/071219/413914
Applicant Name*	Devendra Bhandari
Site Address*	GAUR WORLD STREET, PLOT NO-C 1A, SECTOR-16B, GREATER NOIDA (U.P.), GREATER NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
Site Coordinates*	28 36 28.28 N 77 26 27.16E, 28 36 30.69 N 77 26 27.60E, 28 36 27.06 N 77 26 29.80E, 28 36 27.86 N 77 26 29.96E, 28 36 28.23 N 77 26 31.68E, 28 36 25.94 N 77 26 34.61E, 28 36 28.96 N 77 26 35.76E
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	203.42 M
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level (AMSL)	353.42M

*As provided by applicant

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

- a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"
- b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.
- c. Airport operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.
- d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.
- e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली.- 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566

K. R. Kabir

" हिंदी पत्रों का स्वागत है "

के.के.ए. केबीर / K. R. KABIR

महानिर्देशक (वायु यातायात प्रबंधन-उत्तरी क्षेत्र) / General Manager (ATM), NIR
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India
परिचालन कार्यालय / Operational Offices
रंगपुरी, गुरुग्राम रोड, नई दिल्ली-37 / Rangpuri, Gurugram Road, New Delhi-37



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

- f. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 353.42M (AMSL), as indicated in para 2.
- g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operations is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.
- h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One time revalidation without assessment may be allowed, provided construction work has commenced, subject to the condition that such request shall be made within the validity period of the NOC and the delay is due to circumstances which are beyond the control of the developer.
- i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights
- j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.
- k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series B Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in
- l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.
- m. This NOCID has been assessed w.r.t I.G.I Airport, Jewar, Meerut, Rohini Heliport, Safdarjung Airport Airport(s). NOC has been issued w.r.t. the AAI aerodromes and other licensed civil aerodromes as listed in Schedule-III, Schedule-IV(Part-1), Schedule-IV(Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR751(E).
- n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule-V of GSR751(E). As per Rule 13 of GSR751(E), applicants also need to seek NOC from the concerned State Govt. for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR751(E).
- o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.
- p. In case of any dispute w.r.t site elevation and/or AGL height, top elevation in AMSL shall prevail.

Chairman NOC Committee

Region Name: NORTH

Address: General Manager Airports Authority of India, Regional Headquarter, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi-110037

Email ID: noc_nr@aaiaero

Contact No: 011-25653551

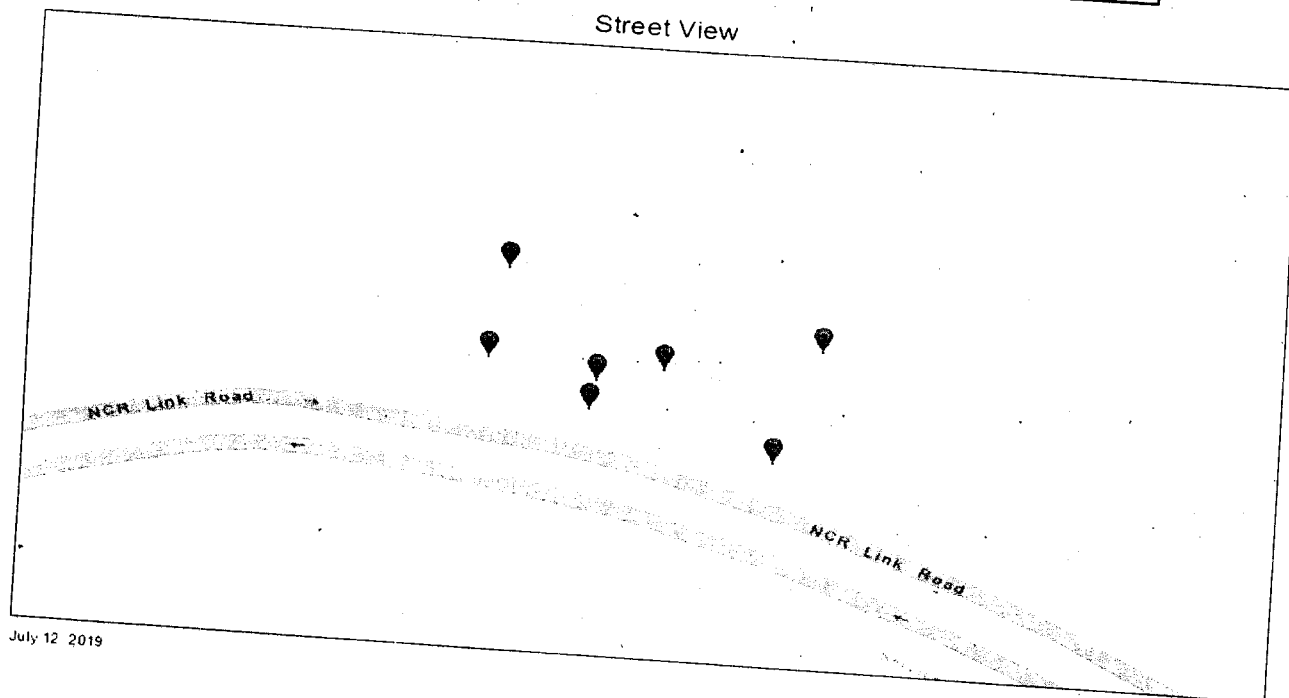
K. K. A. Kabir
24.07.2019
के.के.ए. कबीर / K. K. A. KABIR
महाप्रबन्धक (वायु वातावरण प्रत्यक्ष-उत्तरी क्षेत्र) / General Manager (ATM), Northern Region
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India
प्रचालन कार्यालय / Operational Offices
रांगपुरी, गुरुग्राम रोड, नई दिल्ली-37/Rangpuri, Gurugram Road, New Delhi-37

Name / Designation / Sign with Date	
Prepared By :	<i>N. Narayan</i>
Verified By :	<i>कुलशर्मा, सयु. म. प्र. (221) 22</i>

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रांगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653551
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653551
" हिंदी पत्रों का स्वागत है "

Distance From Nearest Airport And Bearing		
Airport Name	Distance (Meters) from Nearest ARP	Bearing (Degree) from Nearest ARP
I.G.I Airport	32454.49	81.23
Jewar	50455.94	340.3
Meerut	40066.33	213.54
Rohini Heliport	40645.25	111.96
Safdarjung Airport	23040.04	82.42
NOCID	SAFD/NORTH/B/071219/413914	

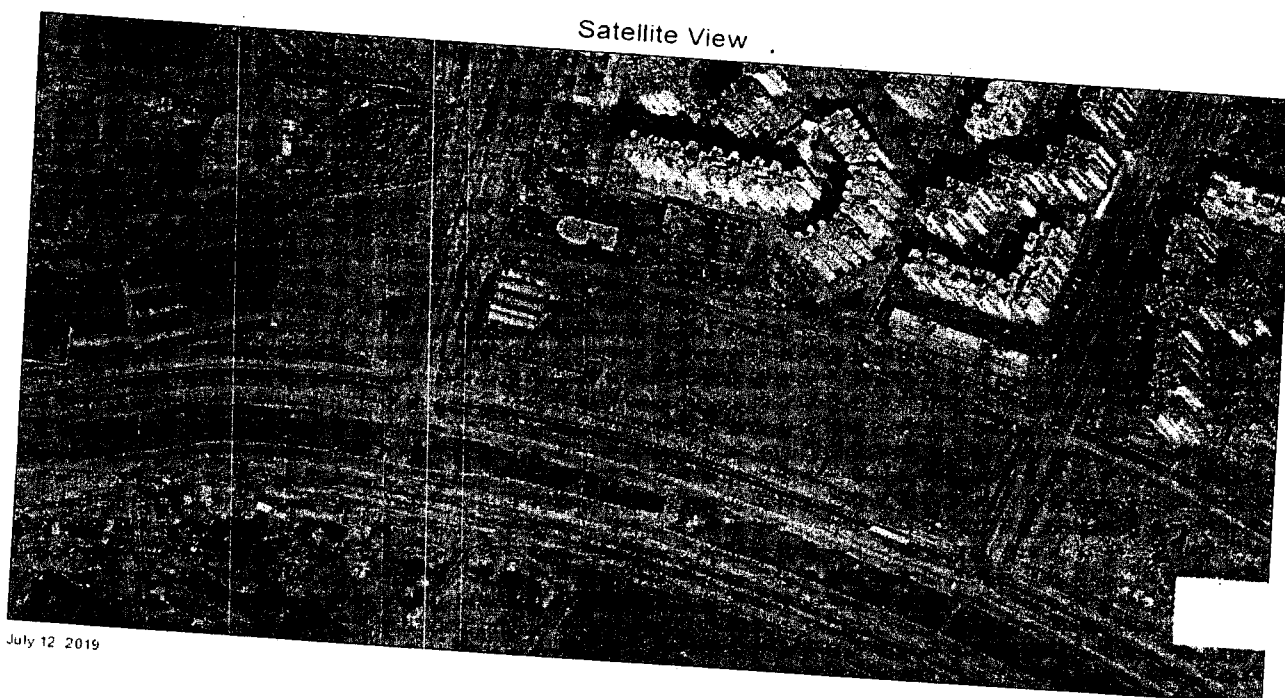
Street View



July 12 2019

0 000 13 600 012 m
0 000 01 02 km
Scale: 1:100000
Data: 2019-07-12 10:00:00
Projection: UTM
Datum: WGS 84
Units: Meters

Satellite View



July 12 2019

0 000 13 600 012 m
0 000 01 02 km
Scale: 1:100000
Data: 2019-07-12 10:00:00
Projection: UTM
Datum: WGS 84
Units: Meters

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

Provisional Certificate

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/11396/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/4025/JD

दिनांक: 11-09-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **FASTIDIOUS BUILDMART PRIVATE LIMITED** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)

पता **C-1A,,Sector-16B,,Greater Noida** तहसील - **Dadri** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Gaur World Street	23	3	99.50 mt.

तथा प्लॉट एरिया **19987.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **FASTIDIOUS BUILDMART PRIVATE LIMITED** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Assembly** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण होने के उपरान्त तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |"

Note : As per the report of FSDO, CFO and DDT MRTZONE this mall multiplex is already approved by D.M gautambuddh nagar committee, and recommended by the committee, hence the NOC is being approved with this direction that electrical and diesel pump must be dedicated to the sprinkler system.

निर्गत किये जाने का दिनांक: **20-09-2019**

स्थान: **GAUTAM BUDDH NAGAR**

हस्ताक्षर-
निर्गमन अधिकारी-



Digitally Signed By
(**ARVIND KUMAR**)
[113A30C2BA71BAA43A6EB441D6D1E9BF8BB54CDA]
20-09-2019

:-कमेटी रिपोर्ट:-

मैसर्स : FASTIDIOUS BUILD MART PVT LTD, Plot no- C-1A SECTOR-16B GREATER NOIDA 201009, जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित मिक्सड आक्वूपेन्सी/शॉप्स/कार्यालय/ फूड कोर्ट/मॉल मल्टीप्लेक्स) भवन के निर्माण हेतु उ०प्र० शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के पत्र संख्या: 1821/छ:-पु०-8-65 (रिट)/08 दिनांक: 25-07-2008 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: एफएस-1076/2012 दिनांक: 05-10-2012 के अनुपालन में मल्टीप्लेक्स एवं मेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि जैसे बृहद एवं महत्वपूर्ण भवनों के नक्शों पर अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कमेटी:-

सन्दर्भ: यू०आई०डी० संख्या: UPFS/2019/8219/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/3121/JD

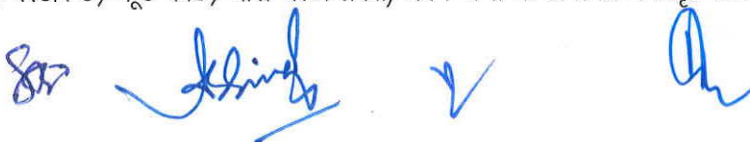
- 1-श्री अरविन्द कुमार:- संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।
- 2-श्री अमन शर्मा:- उपनिदेशक, फायर सर्विस, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
- 3-संयोजक, अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह:- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 4-सदस्य, श्री शेषनाथ यादव:- अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-तृतीय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 5-सदस्य, वास्तुविद:- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नामित सदस्य।

उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के दृष्टिगत दिनांक: 04.09.2019 को 18.00 बजे जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय सैक्टर-27 नोएडा पर समिति की बैठक आयोजित की गयी। समिति सदस्यों द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का परीक्षण उ०प्र० अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 में विहित न्यूनतम सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- कुल प्लॉट एरिया-19987.00 वर्ग मी० है, जिसमें प्रस्तावित भवन के तलों का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्र०स०	तलों का विवरण	प्रस्तावित कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	अधिभाग विवरण
01	भूतल	8953.89	रिटेल शॉप्स
02	प्रथम तल	8203.79	रिटेल शॉप्स
03	द्वितीय तल	8167.86	रिटेल शॉप्स
04	तृतीय तल	8167.86	रिटेल शॉप्स
05	चतुर्थ तल	8162.86	मल्टीप्लेक्स (06अदद) एवं रिटेल शाप्स
06	पंचम तल	6890.70	मल्टीप्लेक्स (06अदद) एवं रिटेल शाप्स
07	छठा तल	6144.60	रिटेल शॉप्स
08	सातवाँ तल	7199.94	कार्यालय
09	आठवाँ तल	1796.06	कार्यालय
10	नववाँ तल (सर्विस तल)	1746.06	सर्विस
11	दसवाँ तल	1746.06	मल्टीपरपज हॉल
12	ग्यारहवाँ तल	1092.08	मल्टीपरपज हॉल
13	बारहवाँ तल	1082.25	आवासीय
14	13वें तल से 21 वें तल तक	1112.25 (प्रत्येक तल)	आवासीय
15	बाईसवाँ तल	293.14	आवासीय
16	बेसमेण्ट-1/लोअर ग्राउण्ड फ्लोर	15024.98	रिटेल शॉप्स
17	बेसमेण्ट-2	16402.29	पार्किंग
18	बेसमेण्ट-3	16403.09	पार्किंग
19	भवन की ऊँचाई-99.50 मीटर।		

भवन का अधिभाग एवं हैजार्ड विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभाग एन०बी०सी०-2016 की मिक्सड आक्वूपेन्सी (रिटेल शॉप्स/रेस्टोरेन्ट/फूड कोर्ट/मॉल मल्टीप्लेक्स) भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।



ढांचागत व्यवस्था:-

क्रं०	परीक्षण हेतु बिन्दु	निर्धारित मानक	मानचित्र में प्रस्तावित	टिप्पणी
01	पहुँच मार्ग	न्यूनतम-24.00मीटर	130.00मीटर	मानक के अनुसार है।
02	प्रवेश द्वार	न्यूनतम 4.50मीटर	6.00मीटर।	मानक के अनुसार है।
03	सैटबैक	अग्रभाग-12.00मीटर पृष्ठ भाग-07.50मीटर पार्श्व भाग प्रथम-07.50मीटर पार्श्व भाग द्वितीय-07.50मीटर भवन के चारो ओर 06.00मीटर मोटरेबुल मार्ग।	अग्रभाग-12.00मीटर पृष्ठ भाग-07.50मीटर पार्श्व भाग प्रथम-07.50मीटर पार्श्व भाग द्वितीय-07.50मीटर भवन के चारो ओर 06.00मीटर मोटरेबुल मार्ग तथा अधिक ऊँचाई वाले भाग के पास 02 तरफ 08 मीटर मोटरेबुल मार्ग प्रस्तावित है।	मानक के अनुसार है।
04	निकास मार्ग (स्टेयर्स)	02.00मीटर चौड़ाई की न्यूनतम 02 स्टेयर।	बेसमेण्ट से चतुर्थ तल तक 02.00मीटर चौड़ाई की 11 स्टेयर तथा 05वें तल से 08वें तल तक 02.00मीटर चौड़ाई की 10 स्टेयर तथा 09वें तल से 11वें तल तक 02.00मीटर चौड़ाई की 03 स्टेयर तथा 12वें तल से 22वें तल तक 02.00मीटर चौड़ाई की 02 स्टेयर प्रस्तावित हैं।	मानक के अनुसार है।
05	रिफ्यूज एरिया	18.मीटर व 24.0मीटर व उसके उपरान्त प्रत्येक 15मीटर ऊँचाई पर।	19.50मीटर पर (चतुर्थ तल पर) 5वें, 09वें, 12वें, 15वें, 19वें एवं 22वें तल(टैरिस) पर रिफ्यूज एरिया प्रस्तावित है।	मानक के अनुसार है।
अग्निशमन व्यवस्था				
06	होजरील/डाउनकमर	प्रत्येक तल पर वांछित।	प्रत्येक तल पर प्रस्तावित।	मानक के अनुसार है।
07	टैरिस टैंक/पम्प	20,000 हजार ली0 क्षमता। टैरिस पम्प वांछनीय नहीं है।	20,000 हजार ली0 क्षमता का प्रस्तावित है।	मानक के अनुसार है।
08	भूमिगत टैंक	02लाख लीटर क्षमता।	2.75लाख लीटर क्षमता के 02 टैंक प्रस्तावित हैं।	मानक के अनुसार है।
09	पम्पस(भूमिगत टैंक के पास)	02 अदद 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के विद्युत चालित मेन पम्प, 01 अदद डीजल चालित पम्प, 02 अदद जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता।	02 अदद 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के विद्युत चालित मेन पम्प, 02 अदद डीजल चालित पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता, 01 अदद वाटर कर्टेन पम्प 2280एलपीएम क्षमता एवं 02 अदद जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता।	मानक के अनुसार है।
10	वेटराइजर	भवन के सभी तलों पर।	सभी तलों पर प्रस्तावित।	मानक के अनुसार है।
11	यार्ड हाइड्रैण्टस	परिसर में भवन के चारो ओर।	परिसर में भवन के चारो ओर प्रस्तावित है।	मानक के अनुसार है।
12	आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम	सम्पूर्ण भवन में सभी तलों पर।	सम्पूर्ण भवन में सभी तलों पर प्रस्तावित है।	मानक के अनुसार है।
13	आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम	सम्पूर्ण भवन में सभी तलों पर।	सम्पूर्ण भवन में सभी तलों पर प्रस्तावित है।	मानक के अनुसार है।
14	मैन्युअली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम	भवन के सभी तलों पर।	भवन के सभी तलों पर प्रस्तावित है।	मानक के अनुसार है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15	प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)	भवन के सभी तलों पर।	भवन के सभी तलों पर प्रस्तावित हैं।	मानक के अनुसार है।
16	स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम	सम्पूर्ण भवन में वांछित।	सम्पूर्ण भवन में प्रस्तावित है।	मानक के अनुसार है।
17	कम्पार्टमेंटेशन	बेसमेण्ट में पार्किंग हेतु 3000वर्गमीटर पर वांछनीय है।	वाटर कर्टन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।	मानक के अनुसार है।
18	प्रेशराईजेशन सिस्टम	सभी फायर स्टेयर्स में वांछित।	सभी फायर स्टेयर्स में प्रस्तावित।	मानक के अनुसार है।
19	पी0ए0 सिस्टम	हाईराइज भवनों में वांछित।	भवन में प्रस्तावित है।	मानक के अनुसार है।
20	एग्जिट साईनेज	सम्पूर्ण भवन में वांछित।	सम्पूर्ण भवन में प्रस्तावित हैं।	मानक के अनुसार है।

अध्यक्ष ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अपेक्षा की कि उपरोक्त के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाय:-

1. प्रस्तुत मानचित्रों को भली-भाँति देखकर उसका अग्नि से सुरक्षा दृष्टिकोण सम्बन्धी परीक्षण कर लिया गया है। मानचित्रों में अग्निशमन सम्बन्धी सभी व्यवस्थाएँ मानकों के अनुरूप प्राविधानित हैं अथवा नहीं ?
2. प्रस्ताव पूरी तरह से निर्धारित शासनादेशों, भवन नियमावली नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप है अथवा नहीं ?

उपरोक्त के क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में यह प्रमाणित किया गया कि :-

1. प्रस्तुत मानचित्रों को भली-भाँति देखकर उसका अग्नि से सुरक्षा दृष्टिकोण सम्बन्धी परीक्षण कमेटी द्वारा कर लिया गया है। मानचित्रों में अग्निशमन सम्बन्धी सभी व्यवस्थाएँ मानकों के अनुरूप प्राविधानित हैं।
2. प्रस्ताव पूरी तरह से निर्धारित शासनादेशों, भवन नियमावली नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप है।

अतः मैसर्स : FASTIDIOUS BUILD MART PVT LTD, **Plot no- C-1A SECTOR-16B GREATER NOIDA 201009**, जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित मिक्सड ऑक्यूपेन्सी (रिटेल शॉप्स/फूड कोर्ट/मॉल मल्टीप्लैक्स) भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कमेटी संस्तुति इस शर्त के साथ करती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

सदस्य

(शेषनाथ यादव)

अग्निशमन अधिकारी,
ईकोटेक-तृतीय ग्रेटर नौएडा

सदस्य

वास्तुविद नियोजक
ग्रेटर नौएडा।

संयोजक

(अरुण कुमार सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

(अमन शर्मा)

उपनिदेशक, फायर सर्विस,
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

(संयुक्त निदेशक)

संयुक्त निदेशक, फा0स0मु0,
उ0प्र0 लखनऊ।

अनुमोदन

अध्यक्ष

5/9/19
जिलाधिकारी